



छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर 492002

कमांक/ 3884 /एफ-02/02/SMSP/2015/14-2 नया रायपुर दिनांक 12/10/15  
प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर
3. प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर


विषय :- कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कृषको को अनुदान पर बीज प्रदाय घटक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) प्रक्रिया को लागू करने के निर्देशो को रबी वर्ष 2015-16 में स्थगित रखने बाबत।  
संदर्भ :- विभाग का पत्र कमांक 3197/एफ-02/02/SMSP/2015/14-2 दिनांक 10.09.2015

—00—

खरीफ 2015 में सूखा की परिस्थिति के दृष्टिगत संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशो को रबी 2015-16 तक की अवधि हेतु स्थगित किया जाता है।

कृपया छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से रबी 2015-16 में वितरित किये जाने वाले संपूर्ण बीजो को पूर्व वर्ष की भांति ही बीज वितरण अनुदान समाहित कर बीज दर निर्धारण करते हुए कृषको को प्रदाय करना सुनिश्चित किया जाए।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रदीप कुमार दवे)  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग

पृष्ठांक/ 3885 /एफ-02/02/SMSP/2015/14-2 नया रायपुर दिनांक 12/10/15  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, मछली पालन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
3. सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग।
4. सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग।
5. महालेखाकर रायपुर छ.ग.।
6. संचालक कोष लेखा एवं पेंशन।
7. कार्यालयीन बजट पटल।
8. तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया निर्देशो को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. स्टॉक फाईल

  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग

